

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार गडरारोड़, जिला बाड़मेर

राजस्व प्रकरण संख्या 34/19 अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

सायल

गैरसायल

राजस्थान सरकार जरिये

वनाम

श्री व्यंथा (17) एर बाण

पटवारी हल्का गिराठ

जाति मेथवाक निवासी शास्त्रीगांव

तहसील गडरारोड़ जिला बाड़मेर।

निर्णय

पत्रावली आज बमुकाम गडरारोड़ में पेश हुई गैरसायल की सा. / वना. पत्रावली को हमने अवलोकन किया संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गिराठ प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल ने ग्राम बुहड़िया के खसरा नम्बर 678 संख्या 352.01 बीघा में से 10 बीघा किरम जौंशु गोचर राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार गैर सायल को अतिक्रमण धारा 91 आर.एल.आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्ट्रर कर गैर सायल को जरिये नोटिस के सुनवाई हेतु तलब किया गया नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ।

अतः गैर सायल को आर.एल.आर. एक्ट 1956 धारा 91 का उल्लंघन करने पर गैरसायल को अतिक्रमण घोषित किया जाकर उक्त राजकीय भूमि से वेदखल करने के आदेश पारित किया गया है साथ ही वार्षिक लगान का 50 गुणा जुर्माना राशि रूपये 50 अक्षर पचास रूपये में आरोपित किया जाता है। जो गैर सायल से वसूल हो।

निरीक्षक भू अभिलेख गिराठ को आदेशित किया जाता है कि वह भीके पर अति फसल को तत्काल कब्जा वहक सरकार प्राप्त फसल नितामी फर्द वास्ते अनुगोदना में पूर्ण स्वीकृति मिले 10 रोम में पेश करे। पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि वह गैरसायल को फोरेन का वेदखल कर भूमि का कब्जा वहक सरकार प्राप्त कर पूर्ण पालना आवश्यक रूप से एक माह में करे। पत्रावली टी.आर.ए. को मांग कायमी हेतु भेजी जावे।

निर्णय दिनांक 15.10.19 को सरेआम सुनाया गया।

हसीलदार गडरारोड़